

द्वारायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला मंगलनगर

नाम
 पत्र संख्या / अनंतगत धारा

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश पालना में जारी
--------	-----------------------------------	--

4
5/22
 अधिवक्तागण उपस्थित। बहस उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। प्राची अधिवक्ता के द्वारा प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाक्यगत भूमी के संबंध में अस्थायी आदेश को मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किए जाने बाबत निवेदन किया। अप्राची अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्राचीन पत्र खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया।
 अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्राची स. 1 ता 3 का जवाब प्राचीन पत्र बन्द है। लिहाजा प्राची का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA भली-भांति आविष्ट होने पर प्रकरण में जारी दिनांक 15/6/2020 का अस्थायी आदेश मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किया जाता है। पत्रावली निर्णय होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर